विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-09/19

मेसर्स विशुद्ध एग्रो इण्डस्ट्रीज, — **आवेदक**
प्रोप्रा0 श्री बाहुबली सुन्दरलाल जैन,
नावदापंथ, जिला – इन्दौर (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) संभाग, — **अनावेदक**
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
देपालपुर (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 20.01.2020 को पारित)

01. आवेदक श्री बाहुबली सुन्दरलाल जैन, प्रोपा0 मे0 विशुद्ध एग्रो इण्डस्ट्रीज, नावदापंथ, जिला – इन्दौर ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक – निरंक से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा प्रकरण क्रमांक W0426219 श्री बाहुबली सुन्दरलाल जैन, प्रोपा0 मे0 विशुद्ध एग्रो इण्डस्ट्रीज, नावदापंथ, जिला – इन्दौर विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) संभाग, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, देपालपुर (म.प्र.) में दिनांक 28.04.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। जो इस कार्यालय में दिनांक 06.07.2019 को कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00–09/2019 पर दर्ज की गई है।

02. आवेदक ने अपने लिखित अभ्यावेदन में प्रकरण के विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किए हैं :–

मेरे द्वारा विशुद्ध एग्रो इण्डस्ट्रीज के नाम नावदा पंथ वितरण केन्द्र से 95 किलोवाट का संयोजन लिया गया था । जिसका नियमानुसार सप्लाय अफोर्डिंग शुल्क भरा गया था । उपरोक्त संयोजन स्थानांतरण हेतु आवेदन दिया गया, जिस हेतु रू0 1500/– की रसीद कटवायी

गयी । लेकिन विद्युत कम्पनी के द्वारा संयोजन स्थानांतरण हेतु पुनः सप्लाय अफोर्डिंग शुल्क की मांग की गयी जिसे मेरे द्वारा आपत्ति के साथ भरकर संयोजन चालु करवाया गया ।

सप्लाय अफोर्डिंग शुल्क जो कि दुबारा भरा गया था, उसकी वापसी हेतु माननीय फोरम में वाद प्रस्तुत किया गया । जो कि प्रकरण क्रमांक 426219 में दर्ज होकर दिनांक 20.04.2019 को आदेश पारित किया गया ।

उपरोक्त आदेश विधिनुसार नहीं होने से माननीय लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रहा हूं ।

माननीय फोरम के आदेश के बिन्दु क्रमांक 2 के अनुसार :–

अभिमत में उल्लेखानुसार विधिक प्रावधान में उल्लेखित म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहित 2013 अध्याय 7 की कण्डिका 7.25 के अनुसार परिवादी एवं विपक्ष की आपसी सहमति न होने के कारण विपक्ष द्वारा दुबारा सप्लाय अफोर्डिंग शुल्क जमा कराए गये हैं । इसके स्थान पर परिवर्तित जगह पर किए गए कार्य की वास्तविक लागत ली जावे । परन्तु प्राकलन में परिवर्तित जगह पर किए गए कुल कार्य की वास्तविक लागत राशि रू0 270025 (स्वीकृत प्राक्लन के अनुसार) है । विपक्ष को परिवादी से कार्यपालन यंत्री देपालपुर द्वारा 100 के.व्ही.ए. से 200 के.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर की स्वीकृत एस्टीमेटेड कास्ट रू0 270025/– ली जावे । अतः परिवादी को शेष देय राशि (रू0 358072–270025 = 88047) का समायोजन आगामी बिल में किया जावे ।

महोदय आदेश से स्पष्ट है कि रू0 270025/– ट्रांसफार्मर एवं अधोसंरचना की कास्ट हेतु लिए गए हैं, जबकि विद्युत विनियम 2009 के अध्याय 4.2.2 कण्डिका के अनुसार :–

4.2.2 (अ) किसी वैयक्तिक गैर–घरेलू अथवा औद्योगिक उपभोक्ता अथवा अन्य निम्नदाब उपभोक्ता जिन्हें अन्यत्र सम्मिलित नहीं किया गया है, को विद्युत प्रदाय हेतु, उपभोक्ता के वितरण प्रसंवाही हेतु वांछित निम्नदाब तन्तुपथ (लाईनें) को उपभोक्ता की लागत पर स्थापित किया जाएगा । वितरण अनुज्ञप्तिधारी वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र तथा उच्चदाब तन्तुपथ (लाईन) अपनी स्वयं की लागत पर संस्थापित करने की व्यवस्था करेगा ।

चूंकि वितरण कम्पनी के द्वारा ट्रांसफार्मर एवं अधोसंरचना लागत का शुल्क लिया गया है । जबकि संयोजन पुर्व स्थापित अधोसंरचना से ही संयोजन दिया गया है एवं 4.2.2 नियमानुसार ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र विद्युत कम्पनी की लागत पर विद्युत कम्पनी को स्थापित करना है । अतः माननीय लोकपाल महोदय से निवेदन है कि विद्युत कम्पनी के द्वारा संयोजन स्थानांतरण हेतु

लिए गए शुल्क को वापस दिलाया जावे । साथ ही संयोजन स्थानांतरण में देरी से हुए नुकसान रू0 4500000/– पैतालीस लाख साथ में दिलाए । यही निवेदन ।

अतः माननीय लोकपाल महोदय से सविनय निवेदन है कि माननीय फोरम के द्वारा जो अधोसंरचना की लागत उपभोक्ता से वसूल हेतु आदेश दिया गया है उसे निरस्त करें ।

03. प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 05.09.2019 को नियत की जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी किए गए । आवेदक की ओर से आवेदक स्वयं श्री बाहुवली जैन उपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री अशोक कुमार गौढ़, जूनियर इंजीनियर, नावदापंथ, (संचा./संधा.) इन्दौर उपस्थित। अनावेदक की ओर से उपस्थित श्री अशोक कुमार गौड़, जूनियर इंजीनियर द्वारा कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) संभाग, देपालपुर का पत्र क्रमांक 1480 दिनांक 04.09.2019 प्रस्तुत किया जिसमें अनावेदक कार्यपालन यंत्री द्वारा यह सूचित करते हुए कि प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रियाधीन होने से प्रभारी अधिकारी समुचित जवाब प्रस्तुत करने हेतु एक माह की समयावधि प्रदान करने का निवेदन किया गया । सुनवाई मे अनावेदक द्वारा कथन किया गया कि उन्होंने अपना आवेदन विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है । आवेदक ने मौखिक रूप से अवगत कराया कि विशुद्ध एग्रो इण्डस्ट्रीज के नाम नावदापंथ वितरण केन्द्र से 95 कि.वा. का संयोजन लिया गया था, जिसका नियमानुसार सप्लाय अफोर्डिंग शुल्क भरा गया था । उपरोक्त संयोजन स्थांतरण हेतु आवेदन दिया गया, जिस हेतु रू. 1500/– की रसीद कटवायी गयी, लेकिन विद्युत कम्पनी द्वारा संयोजन स्थानांतरण हेतु पुनः सप्लाय अफोर्डिंग शुल्क की मांग की गई, जिसे मेरे द्वारा आपत्ति के साथ भरकर संयोजन चालू करवाया गया । उनका कथन है कि उनकी जानकारी अनुसार एक ही वितरण केन्द्र में विद्युत कनेक्शन के स्थान परिवर्तन पद पूर्व में भुगतान किए गए किसी भी शुल्क का पुनः भुगतान किया जाना आवश्यक नहीं है अतः मेरे द्वारा जो सप्लाय अफोर्डिंग शुल्क आपत्ति के साथ दोबारा जमा किया गया है उसे वापस दिलाया जाए । इस संबंध में नियम संबंधी जानकारी/दस्तावेज तत्काल में मेरे पास उपलब्ध नहीं है, और अगली सुनवाई में इस संबंध में समस्त जानकारी मयदस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत की जावेगी । इसके लिए लगभग एक माह का समय प्रदान किया जावे ।

उभयपक्षों की सहमति से सुनवाई की अगली दिनांक 04.10.2019 नियत की जाती है ।

04. सुनवाई दिनांक 04.10.2019 को आवेदक एवं अनावेदक दोनों की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई नहीं की जा सकी ।

05. अगली सुनवाई दिनांक 04.11.2019 को आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा अनावेदक की ओर से अनावेदक प्रतिनिधि श्री रोहित रंजन चौधरी, जूनियर इंजीनियर उपस्थित। अनावेदक की ओर से उपस्थित श्री रोहित रंजन चौधरी, जूनियर इंजीनियर ने अनावेदक का लिखित प्रत्युत्तर दिनांक 04.11.2019 प्रस्तुत किया। विद्युत कनेक्शन की एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्टिंग के संबंध में लागू नियम एवं शर्तों के संबंध में उन्होनें अनभिज्ञता जाहिर करते हुए इस संबंध में उनके पास कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं होने संबंधी कथन किया । अगली सुनवाई में अनावेदक विद्युत संयोजन के स्थानांतरण संबंधी लागू प्रक्रियां तथा नियम एवं शर्तों से संबंधित प्रमाणित दस्तावेजी संबंधी जानकारी तथा प्रश्नाधीन प्रकरण में संबंधित नियम जिसके अन्तर्गत आवेदक से सप्लाय अफोर्डिंग चार्जेज लिए जाने के साथ–साथ आवेदक से 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क के अन्तर्गत स्वयं के व्यय पर विद्युत प्रणाली विस्तार कार्य करवाए गए हैं, प्रस्तुत किए जाएं के निर्देश के साथ अगली सुनवाई दिनांक 25.11.2019 को नियत की गई।

06. सुनवाई दिनांक 25.11.2019 को आवेदक एवं अनावेदक दोनों की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई आगे बढ़ाई जाकर सुनवाई दिनांक 17.12.2019 को नियत की गई ।

07. सुनवाई दिनांक 17.12.2019 को आवेदक स्वयं उपस्थित तथा अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

सुनवाई दिनांक 17.12.2019 को आवेदक की ओर से अनावेदक के लिखित प्रत्युत्तर दिनांक 04.11.2019 पर लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि नवीन स्थान पर कनेक्शन स्थानांतरण किए जाने में अनावेदक द्वारा केवल वितरण ट्रांसफार्मर बदला गया है बाकि कोई काम नहीं किया गया है और विद्युत विनियमन 2009 के अध्याय 4(ख) अन्य निम्नदाब उपभोक्ताओं हेतु कण्डिका 4.2.2 (अ) के अनुसार :–

''विद्युत प्रदाय हेतु उपभोक्ताओं के वितरण प्रसंवाही हेतु वांछित निम्नदाब तन्तुपथ हो उपभोक्ता की लागत पर स्थापित किया जाएगा । ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र एवं उच्चदाब तन्तुपथ अनावेदक को अपने स्वयं की लागत पर स्थापित किया जाएगा ।'' आवेदक ने मौखिक कथन कर प्रकरण से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय की मांग की । अनावेदक की अनुपस्थिति से प्रकरण में आगे सुनवाई नहीं की जा सकी और अगली सुनवाई दिनांक 07.01.2020 को नियत की गई ।

08. दिनांक 07.01.2020 की सुनवाई में आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक की ओर से अनावेदक प्रतिनिधि श्री रोहित रंजन चौधरी, जूनियर इंजीनियर उपस्थित।

श्री चौधरी द्वारा अनावेदक का लिखित प्रत्युत्तर दिनांक 30.12.2019 प्रस्तुत किया । आवेदक की अनुपस्थिति के कारण अनावेदक के प्रत्युत्तर की एक प्रति आवेदक को प्रेषित करने के निर्देश के साथ अगली सुनवाई दिनांक 17.01.2029 को नियत की गई ।

09. दिनांक 17.01.2020 की सुनवाई में आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं तथा अनावेदक की ओर से अनावेदक प्रतिनिधि श्री रोहित रंजन चौधरी, जूनियर इंजीनियर उपस्थित। अनावेदक प्रतिनिधि श्री चौधरी ने लिखित प्रत्युत्तर दिनांक 13.01.2020 प्रस्तुत किया तथा कथन कर सूचित किया कि आवेदक ने अनावेदक के कार्यालय में उपस्थित होकर सूचित किया है कि वे प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं और इस संबंध में विद्युत लोकपाल को संबोधित आवेदक का मूल लिखित पत्र दिनांक 16.01.2003 की प्रति अनावेदक को प्रस्तुत किया जिसमें निवेदन किया गया है कि –

> ''विशुद्ध एग्रो इण्डस्ट्रीज द्वारा MPPKVV कम्पनी लि0 नावदापथ देपालपुर के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक एल00–09/19 में अब में और कार्यवाही नहीं चाहता हूं ।
>
> अतः प्रकरण निरस्त करने की कृपा करें ।
>
> धन्यवाद ।''

10. अनावेदक प्रतिनिधि ने आवेदक के उक्त पत्र दिनांक 16.01.2020 की सुनवाई में प्रस्तुत किया जिसे रिकार्ड में लिया गया ।

11. आवेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित आवेदन पत्र ''कि वे प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, अतः प्रकरण निरस्त करने की कृपा करें, के आधार पर आवेदक की अपील पर बिना किसी निर्णय के निरस्त की जाती है । इसके साथ ही प्रकरण निराकृत होता है ।

12. उभय पक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ उभय पक्षकार अलग से सूचित हों। आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापिस हो।

विद्युत लोकपाल